न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री बी.एल.कोठारी**

आई.ए.एस.

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
अमरसिंह पुत्र भगसिंह राजपूत निवासी कोरा तहसील भीनमाल जिला जालोर		राज्य सरकार जरिए तहसीलदार भीनमाल
प्रकरण संख्या अपील		26/2018

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

.....

पक्षकारान के अभिभाषकगण:-

1-श्री नवीन कुमार गहलोत, अभिभाषक अपीलान्ट

2-श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-18.07.2018

1. अपीलान्ट के द्वारा यह अपील तहसीलदार भीनमाल द्वारा प्रकरण संख्या 27/2018 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 शीर्षक सरकार बनाम अमरसिंह पुत्र भगसिंह राजपूत निवासी कोरा तहसील भीनमाल में पारित आदेश दिनांक 28.03.2018 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच subject ti limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। जो प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

3. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए व्यक्त किया कि अपीलांट एक मजदूर वर्ग का काश्तकार व्यक्ति है। सरहद मौजा कोरा में खसरा नंबर 988 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म गै.मु. गौचर की आई हुई है। उक्त भूमि पर अपीलांट व अपीलांट के पूर्वजो का गत करीबन 60 वर्षो से अधिक समय से मौके पर कब्जा है। जिस पर अपीलांट का लगातार कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त भूमि आबादी के बिल्कुल करीब है तथा आबादी का विस्तार होने के कारण अपीलांट तथा उसके पूर्वजो द्वारा कब्जा किया गया था। उक्त आराजी मौके पर किसी प्रकार से गै.मु. रास्ते की भूमि नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास करते हुये तथा ग्राम कोरा के भूमि तस्करो से मिलावट कर उनके कथनानुसार अपीलांट के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर भूमि तस्करो की भूमि की अधिक कीमत प्राप्त करवाने के आशय से अपीलांट के विरूद्ध गलत मुकदमा दर्ज किया गया है। नोटिस अपीलांट को प्राप्त होने पर अपीलांट न्यायालय में पेश हुआ तथा जबाब व साक्ष्य पेश करने हेतु समुचित अवसर चाहा लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जाकर आगामी तारीख पेशी 27.02.2018 को नियत कर दी जिस पर अपीलांट उक्त तारीख पेशी 27.02.2018 को भी उपस्थित होकर सुनवाई का समुचित अवसर चाहा लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को किसी भी प्रकार का अवसर प्रदान नही किया गया। अपीलांट को जबाब व साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं करते हुए अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुये बेदखली व सिविल कारावास का आदेश पारित किया गया है जो न्याय संगत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। मौके पर अपीलांट का पुराना कब्जा है तथा अपीलांट के उक्त कब्जे के पास ही आबादी भूमि आई हुई है तथा अन्य लोगो का रहवास है। उक्त भूमि ग्राम कोरा तहसील भीनमाल की आबादी भूमि के समीप ही स्थित है तथा उक्त भूमि मौके पर किसी प्रकार से रास्ते,डोली की भूमि न होकर अपीलांट के कब्जे की भूमि है। अपीलांट व उसके परिवार का पुराना कब्जा होने के कारण राजस्थान राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रो के अनुसार काबिज नियमन होते हुये उक्त भूमि को नियमन न कर बेदखली का आदेश पारित किया गया जो त्रुटी संगत है। इसलिये उक्त आदेश विधि सम्मत नही होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने तारीख पेशी दिनांक 28.03.2018 को अपीलांट को साक्ष्य सबूत का अवसर न देकर अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये है तथा अपीलांट को मौके पर से बेदखल करने के आदेश दिये है जो आदेशिका दिनांक 28.03.2018 से स्पष्ट है।आदेशिका दिनांक 22.02.2018 व 27.02.2018 से तो स्पष्ट है कि अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया है। निर्णय दिनांक 28.03.2018 भूमि तस्करो को फायदा पहुचाने के उद्धेश्य से दोषपूर्ण रवैया अपनाते हुये अपीलांट की पीठ पीछे आदेश पारित किया गया है जो आदेश दोषपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट को उक्त निर्णय एवं आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.05.2018 को न्यायालय तहसीलदार भीनमाल का इजराय नोटिस प्राप्त हुआ तथा अन्तिम रूप से तब जानकारी हुई। जब अपीलांट को न्यायालय से दिनांक 12.06.2018 को उक्त निर्णय दिनांक 28.03.2018 के आदेश की नकल प्राप्त हुई। इस प्रकार ज्ञान की तारीख एवं नकल प्राप्ति की तारीख से अपीलांट की अपील अन्दर म्याद पेश है तथा देरी शमन करने योग्य है।

SC

अत:अपील अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.03.2018 को अपास्त किया जावे तथा उक्त प्रकरण में अपीलांट को समुचित सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

4. सरकारी अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को मौजा कोरा के बा.प्र.गोचर की भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित कर वादग्रस्त आराजी पर से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिए जाकर अतिक्रमित क्षेत्र के लगान का 50 गुणा 99/-रूपए बतौर जुर्माना आरोपित किया गया व बेदखली के आदेश पारित किए गए साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण 1 माह का सिविल करावास की सजा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिवत है। अत: अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद सुनवाई के अपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को मौजा कोरा के खसरा नंबर 988 रकबा 0.06 किस्म बा.प्र.गोचर की भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित कर वादग्रस्त आराजी पर से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिए जाकर अतिक्रमित क्षेत्र के लगान का 50 गुणा 99/-रूपए बतौर जुर्माना आरोपित किया गया तथा बेदखल करने व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर 1 माह के सिविल कारावास का आदेश पारित किया है। प्रकरण में सिविल कारावास का दंड पारित करने से पूर्व अपीलांट को जवाब, साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिये था। लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में उक्त प्रकिया का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत: उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार भीनमाल को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में उपर वर्णित विवेचनानुसार समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर पुन: नियामानुसार विधी सम्मत आदेश पारित किया जावे।

सही।
(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय 18.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सही।
(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर